R.B.Estt. No.107/2012

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2009/PM1/4 New Delhi, dated 26.09.2012

The General Managers,
All Indian Railways & PUs.
(As per standard list).

Sub : Status of Promotions, made between date of effect and date of Implementation of recommendations of 6th CPC, and Seniority of Staff in merged grades in pursuance of Recommendations of 6th CPC.

The issue of status of promotions made between date of effect and date of implementation of 6th CPC and seniority of staff in case where two or more pre-revised grades were merged and placed in a common grade pay, in consonance with the recommendations of 6th CPC, was under consideration of Ministry of Railways in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T).

2. The matter has since been examined and it has been decided that status of promotions and seniority of staff holding post in grades which have been merged in pursuance to recommendations of 6th CPC will be determined as under :-

(I) The promotions made between 01.01.2006 to 04.09.2008 (date of implementation of 6th CPC on Railways) will be protected as the same were made as per the provisions of statutory rules existing at that time. The merger of the pay scale(s) of the post(s) as recommended by 6th CPC have been made effective w.e.f. 01.01.2006; the seniority of government servant which existed on 04.09.2008 will be maintained, i.e., the holder of post having higher pay scale or post which constituted promotion post for the posts in the feeder grade, will rank enblock senior to those holding post having lower pay scale or the posts in feeder grade.

(II) Where posts having different pay scales prior to 6th CPC recommendations and now after merger have come to lie in the same Pay Band with same Grade Pay, the inter-se seniority of all the employees will be fully maintained with employee in a higher pre-revised pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower

revised pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower pay scale. Within the same pre-revised pay scale, seniority which existed prior to revision would continue.

(III) Where recruitment for the posts in different pre-revised pay scale(s) was initiated separately for each posts, prior to acceptance of recommendations of 6th CPC, i.e., prior to 04.09.2008 but selected individual joined duty on or after 05.09.2008 in the revised pay scale(s) against the posts which have been granted same Grade Pay, such staff will be assigned seniority enbloc below those who were in position as on 04.09.2008.

(IV) The availability of staff nominated on the basis of panel of promotion given by DPC or Select List given by Selection Board will be decided as on 04.09.2008. In case a staff from the panel given by DPC or Select List given by the Selection Board has joined on or prior to 04.09.2008, then status of all the staff included in panel given by DPC or Select List will be protected and all staff will be considered available and their seniority determined by following the basic principle of seniority, i.e., order of panel given by DPC or merit list given by Selection Board. In case all the staff included in the panel given by DPC or Select List given by Selection Board joins after 04.09.2008, then the seniority of such staff within a grade, will be determined by placing them below all available staff as on 04.09.2008 but maintaining their inter-se seniority in order of panel of DPC or merit list given by Selection Board.

3. All the cases of determination of seniority except merged MTS posts will be decided accordingly. The issue of determination of seniority of merged MTS (erstwhile Group 'D') posts would be taken up separately.

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt

(R. Mukundan)
Executive Director Estt.(N)
Railway Board.

आरबी स्था. सं.107/2012

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

RB-2091

सं.ई (एनजी)-I/2009/पीएम-1/4

नई दिल्ली, 26.09.2012

05 NOV. 2012

NWR

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख और इसे लागू करने की तारीख के बीच हुई पदोन्नतियों तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसरण में विलय किए गए ग्रेडों में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख और इसे लागू करने की तारीख के बीच हुई पदोन्नतियों और उस मामले, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दो या इससे अधिक संशोधन-पूर्व ग्रेडों का विलय करके एक कॉमन ग्रेड पे में रखा गया हो, में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति का मुद्दा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के परामर्श से रेल मंत्रालय में विचाराधीन रहा है।

इस मामले की अब जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि उन ग्रेडों जिनका छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विलय किया गया है, के पदधारी कर्मचारियों की पदोन्नतियों और वरिष्ठता की स्थिति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) 01.01.2006 से 04.09.2008 (रेलों पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख) के बीच हुई पदोन्नतियों को यथावत रखा जाएगा क्योंकि इन्हें उस समय मौजूद सांविधिक नियमों के उपबंधों के अनुसार रखा गया था। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पद (पदों) के वेतनमान (वेतनमानों) का विलय 01.01.2006 से प्रभावी हुआ है; सरकारी कर्मचारी की 04.09.2008 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा, अर्थात् उच्चतर वेतनमान वाले या वह पद जो फीडर ग्रेड में पदों के लिए पदोन्नति पद था, के पदधारी निम्नतर वेतनमान वाले या फीडर ग्रेड के पदों के पदधारियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे।

(ii) जहां छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले विभिन्न वेतनमान वाले पदों को अब विलय करने के बाद एक ही ग्रेड पे के साथ एक ही पे बैण्ड में रखा गया है, उन मामलों में संशोधन पूर्व के निम्नतर वेतनमान के कर्मचारी की तुलना में उच्चतर वेतनमान वाले कर्मचारी को उच्चतर वरीयता प्रदान करके सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता को पूर्णतः बनाए रखा जाएगा। संशोधन

E.NG.I.2012 Satv

02 2012

पूर्व का वेतनमान समान होने की स्थिति में संशोधन से पूर्व मौजूद वरिष्ठता जारी रहेगी।

(iii) जहां संशोधन से पूर्व विभिन्न वेतनमान (वेतनमानों) के पदों के लिए भर्ती, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से पूर्व अर्थात् 04.09.2008 से पूर्व प्रत्येक पद के लिए अलग से की गई थी परन्तु चयन किए गए उम्मीदवार ने उन पदों, जिन्हें एक ही ग्रेड पे प्रदान किया गया है, के लिए संशोधित वेतनमान (वेतनमानों) में 05.09.2008 को अथवा इसके बाद ड्यूटी ज्वाइन की हो, ऐसे कर्मचारियों को उन कर्मचारियों, जो 04.09.2008 को पद पर थे, के नीचे सामूहिक रूप से वरिष्ठता दी जाएगी।

(iv) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिए गए पदोन्नति के पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची के आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों के उपलब्ध होने का निर्णय 04.09.2008 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। यदि डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची में उल्लिखित किसी कर्मचारी ने 04.09.2008 को या इससे पूर्व कार्यभार ग्रहण किया है, तो डीपीसी या चयन सूची द्वारा दिए गए पैनल में शामिल सभी कर्मचारियों की स्थिति को बनाए रखा जाएगा और सभी कर्मचारियों को उपलब्ध माना जाएगा तथा उनकी वरिष्ठता का निर्धारण वरिष्ठता के मूल सिद्धांत अर्थात् डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल के आदेश या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई मेरिट सूची का पालन करते हुए किया जाएगा। यदि डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची में शामिल सभी कर्मचारी 04.09.2008 के बाद कार्यभार ग्रहण करते हैं तो समान ग्रेड में ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण 04.09.2008 को उपलब्ध सभी कर्मचारियों के नीचे उन्हें रखते हुए किया जाएगा परन्तु डीपीसी के पैनल के आदेश या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई मेरिट सूची के क्रम से उनकी परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा।

विलय किए गए एमटीएस पदों को छोड़कर वरिष्ठता के निर्धारण के सभी मामलों का तदनुसार निर्णय किया जाएगा। विलय किए गए एमटीएस (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') पदों की वरिष्ठता के निर्धारण के मुद्दे पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।

कृपया पावती दें।

(आर. मुकुंदन)
कार्यपालक निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड